

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/वे.स्थि/2010/

दिनांक - 19.10.2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवानियम 2010 के तहत उपस्थित कर्मचारियों को वेतन आदि (समेकित) दो माह का भुगतान निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कर्मचारियों को वेतन आदि (समेकित) का भुगतान निम्न दर से किया जाना है-

क्र.सं.	विवरण	राशि प्रति माह
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं समकक्ष	12,000 / -
2	मंत्रालयिक कर्मचारी एवं समकक्ष	16,000 / -
3	ब्याख्याता, पी.टी.आई. एवं लाईब्रेरियन	30,000 / -

2. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान आज दिनांक तक नियमित रूप से उपस्थित कर्मचारियों को बजट शीर्ष 2202-2-03-(02) राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिए -(00)-01 संवेतन मद में उपलब्ध बजट प्रावधान में से किया जाना है ।
3. निम्न कन्या महाविद्यालयों / क्षेत्रिय कार्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) को भुगतान कन्या महाविद्यालय के सामने अंकित पुरुष महाविद्यालयों के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जानी है तथा पुरुष महाविद्यालयों में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) भुगतान की कार्यवाही महाविद्यालय स्तर पर ही की जानी है ।

क्र. सं.	महाविद्यालय/क्षेत्रिय कार्यालय का नाम जिसमें उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान कालम सं0 3 में अंकित महाविद्यालय द्वारा किया जाना है ।	महाविद्यालय/क्षेत्रिय कार्यालय का नाम जिसे कालम संख्या 2 में अंकित महाविद्यालय में उपस्थित कर्मचारियों का वेतन आदि (समेकित) का भुगतान किया जाना है ।
1	2	3
1	राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर
2	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
3	राजकीय भीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा
4	राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू	राजकीय महाविद्यालय, कालाडेश

5	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली	राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय, शाहपुरा (जयपुर)	राजकीय महाविद्यालय, कोटापूतली
7	राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझुनू	राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू
8	राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली	राजकीय महाविद्यालय, पाली
9	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जोधपुर	राजकीय महाविद्यालय, पाली
10	क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, जयपुर	राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर

4. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान नियमित वेतन से समायोजित के अध्याधीन होगा ।

5. कर्मचारियों को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान अविलम्ब करवाया जाकर विभाग को अवगत करवाया जाना है ।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 151100983 दिनांक 19.10.11 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गई है ।



(सुबीर कुमार)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 24()लेखा/अनु/वे.स्थि/2010/864-924 दिनांक – 19.10.2011
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
4. सयुक्त निदेशक (प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।
6. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर को आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु ।
7. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान/सम्बन्धित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय /प्राचार्य राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप-कोषाधिकारी
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. रक्षित पत्रावली



मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर